

**कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
जल भवन, बाणगंगा, भोपाल (म प्र)**

क्रमांक/95 /स्था./अराज./प्र.अ./लो.स्वा.यां.वि./2019 भोपाल दिनांक 15.02.2019

// आदेश //

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड से चयनित निम्नलिखित अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयंत्री (वि./यां.) के पद पर वेतनमान लेवल-1, मैट्रिक्स-8, रू. 32800-103600/- एवं शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मॅहगाई भत्तों पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त कर सरल क्रमांक-3 में उल्लेखित स्थान पर पदस्थ किया जाता है :-

क्र	प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	नियुक्ति उपरान्त पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1.	श्री हिमान्यु शर्मा पिता श्री संतोष शर्मा बालाजीपुरम, गुढा गुढी का नाका, लशकर ग्वालियर (म प्र)	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल उपखण्ड श्योपुर
2.	श्री उत्कर्ष बोहरे पिता श्री राजेश बोहरे अहमद नगर तिली रोड, वृन्दावन वार्ड, - सागर 470002 (म प्र)	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल उपखण्ड बैतूल
3.	श्री अविनाश त्रिपाठी पिता श्री राजकुमार त्रिपाठी 46, वार्ड न 14, नाला पार मोहल्ला, ककरहटी, जिला, पन्ना (म प्र)	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल उपखण्ड छतरपुर
4.	श्री अंकित रघुवंशी पिता श्री रमेश रघुवंशी, द्वारा संतोष ठाकुर दुर्गा मोहल्ला सिहोरा मडका, छिंदवाडा (म प्र)	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल उपखण्ड सिवनी
5.	श्री हृदेश कुमार रिछारिया पिता श्री रमेश चन्द्र रिछारिया 243, ग्राम बनगाँव (थाना रनवागाँव तहसील) छतरपुर (म.प्र.) 471201	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल उपखण्ड भिण्ड
6.	श्री प्रभात तिवारी पिता श्री कृष्ण मित्र तिवारी, ग्राम एवं पोस्ट मुकुन्दपुर तहसील,	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल उपखण्ड शहडोल


15-2-19

क्र	प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	नियुक्ति उपरान्त पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
	अमरपाटन, जिला सतना (म.प्र.)	
7.	सुश्री पूजा जैन पिता श्री प्रेमचंद जैन, एच.आई.जी -36 शांति बिहार कालोनी, कमरोनिया, सागर (म.प्र.)	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल उपखण्ड दमोह
8.	सुश्री रीतु तिडके पिता श्री सेवक राम तिडके, बार्ड न 20, ग्राम पोस्ट बिसोनी (थाना /तहसील लांजी) जिला बालाघाट (म.प्र.) 481222	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल उपखण्ड बैतूल
9.	सुश्री अर्पिता रावत पिता श्री राकेश रावत, डी एच - 07, महाराजा काम्पलेक्स के सामने, डी डी नगर, ग्वालियर (म.प्र.) पिन 474020	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल उपखण्ड भिण्ड
10.	सुश्री सोनिका अग्निहोत्री पिता श्री माधव प्रसाद अग्निहोत्री, बी -10, अमलोरी परियोजना, जिला सिंगरौली (म.प्र.)	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल उपखण्ड सीधी
11.	श्री तारकेश्वर साव पिता श्री सुखदेव प्रसाद साव, म. न. 1887, प्रहलाद चौक, (अनमोल हाईट के समीप) न्यू राम नगर अमखेरा, आधारताल, जबलपुर (म.प्र.) 482004	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल उपखण्ड श्योपुर

यह नियुक्तियों निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

- (1) उपरोक्त नियुक्त अभ्यर्थियों की वरिष्ठता प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जारी चयन सूची के वरिष्ठता क्रम के अनुसार रहेगी, जो पृथक से निर्धारित की जाएगी
- (2) मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के निहित नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भौति वसूली योग्य होगी।
- (3) उक्त नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा पर होगी, अभ्यर्थी को दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा। उसे इस समय में विभागीय परीक्षाएँ उत्तीर्ण करना होगी।


15-2-19

- (4) उक्त अभ्यर्थियों की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (अराजपत्रित) सेवा नियम-1976 के अध्याधीन होगा, सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे ।
- (5) यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है । यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के आयोग्य पाए जाते हैं तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी ।
- (6) आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा ।
- (7) चयनित प्रत्याशी को दिनांक 26.02.2019 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा उसकी नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा ।
- (8) चयनित प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने निवास स्थान के समीप जिला / संभागीय मुख्यालय पर स्थित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा और परीक्षा संबंधी उपयुक्तता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसे कार्यभार ग्रहण करने नहीं दिया जायेगा ।
- (9) चयनित प्रत्याशी की पदस्थीकरण के स्थान पर जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।
- (10) यह नियुक्ति म.प्र. सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2005 के अधीन रहेगी ।
- (11) कार्यभार ग्रहण करते समय, स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति पदस्थापना स्थान पर प्रस्तुत करें ।

इन नियुक्तियों में मध्यप्रदेश लोक सेवा सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 (कमांक-21 सन 1994) का और अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उक्त अधिनियम की धार 6 (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है ।


 (15-2-19)
 (के.के.सोनगरिया)
 प्रमुख अभियंता

पृ.कमांक / 1619 / स्था. / अराज. / प्र.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 2019 भोपाल दिनांक 15.02.2019
 प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
3. नियंत्रक, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
4. निज सहायक प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल ।
5. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग वि. / यां. परिक्षेत्र, भोपाल ।
6. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।

7. समस्त अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभागमध्यप्रदेश ।
8. कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैके.खण्ड.....म.प्र. ।
पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति के समय भी अर्हता एवं जाति प्रमाण पत्र आदि की जांच कराकर ही उपस्थिति स्वीकार करे।
9. प्रभारी, स्थापना जन शिकायत निवारण प्रकोष्ठ, कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल ।
10. मुख्य चिकित्सा अधिकारी संभागीय चिकित्सा बोर्ड ।
11. सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैके.उपखण्ड.....म.प्र. ।
12. संबंधित श्री/श्रीमती/कुमारी
.....की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
13. आदेश नस्ती ।


15-2-9
प्रमुख अभियंता